

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
संख्या 691 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017  
देहरादूनः दिनांकः 28 अगस्त, 2017

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06 वर्ष 2017) की धारा 96 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, "उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण", के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका कार्यालय देहरादून में होगा।

2— यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

सं0 691 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3—विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4—अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5—एन0आई0सी0

6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेडा)  
अनु सचिव।

अवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य वर्ग  
उत्तराखण्ड, देहरादून

5051  
28/08/2017

28/08/2017

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 691 / 2017/ 9(120)/XXVII(8)/ 2017 dated 28 August, 2017 for general information

**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**No. 691/2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017**  
**Dehradun :: Dated :: 28 August, 2017**  
**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 96 of the “Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)”, the Governor is pleased to allow to constitute the “Uttarakhand Authority for Advance Ruling”, with its office at Dehradun.

2- It shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

  
(Amit Singh Negi)  
Secretary